



विभागीय
प्रशासकीय
प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021

जोला विभाग, माध्याप्रदेश




मध्यप्रदेश शासन

जेल विभाग

विभागीय प्रशारकीय प्रतिवेदन

2020-21



सजग, सुरक्षा, सावधान

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारी	1
2.	भाग—एक	
1.	विभागीय संरचना	2-15
1.1	विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना	
1.2	अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेलों) की जानकारी	
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	
1.4	विभाग के दायित्व	
1.5	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	
1.5.1	बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार	
1.5.2	कर्मचारियों को प्रशिक्षण	
1.5.3	जेलों में वीडियो कान्फैसिंग	
1.5.4	ई-प्रिजन कार्यक्रम	
1.5.5	ई-प्रिजन लैब	
1.5.6	इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग	
1.5.7	जेल मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना	
1.5.8	तकनीकी शाखा	
1.5.9	विधिक सहायता	
1.5.10	स्वास्थ्य परीक्षण	
1.5.11	जेलों में निरुद्ध बंदियों को पारिश्रमिक	
1.5.12	बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा	
1.5.13	जेल उद्योग, कृषि एवं उद्यान	
1.5.14	आधुनिक मुलाकात व्यवस्था	
1.5.15	बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण	
1.5.16	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा	
1.5.17	बंदियों को शैक्षणिक सुविधा	
1.5.18	सांस्कृतिक कार्यक्रम	
1.5.19	आध्यात्मिक कार्यक्रम	
1.5.20	योग प्रशिक्षण	
1.5.21	प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति	
1.6.	विभाग की प्राथमिकताएं	
1.7.	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	
1.7.1	जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की संख्या	
1.7.2	विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण	

1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण	
1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण	
3. भाग—दो	16
2.1 बजट सिंहावलोकन	
2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय	
4. भाग—तीन	17—18
राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
3.1. राज्य योजनाएं	
3.2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
3.3 अन्य योजनाएं	
5. भाग—चार	19—21
सामान्य प्रशासनिक विषय	
1. जांच समिति / आयोग	
2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति	
3. विभाग में स्वीकृत एवं भरे पद	
4. स्थानांतरण	
6. भाग—पांच	22—24
अभिनव प्रयास	
5.1. अभिनव प्रयास	
5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान	
5.3. आगामी योजना	
5.4. मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य	
5.4.1 महिला कौदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	
5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक राशि	
5.4.3 महिलाओं हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण	
5.4.4 महिला बंदियों के लिए शिक्षा	
5.4.5 महिला कर्मचारियों के लिये सुविधाएं	
7. भाग—छः	25
निरंक	
8. भाग—सात	25
सारांश	
9. जेल विभाग के आवश्यक दूरभाष	26—38

जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों की जानकारी

वर्ष 2020-2021

★ मध्यप्रदेश, शासन ★

विभाग का नाम

► जेल विभाग

प्रभारी मंत्री

► डॉ. नरोत्तम मिश्रा (21.04.2020 से निरंतर)

★ सचिवालय ★

अपर मुख्य सचिव

► श्री एस.एन. मिश्रा (26.03.2019 से 10.08.2020 तक)

► डॉ. राजेश याजोरा (11.08.2020 से निरंतर)

सचिव

► श्री राजीव चब्द दुबे (14.07.2018 से 26.05.2020 तक)

अपर सचिव

► श्री मनोज खत्री (19.03.2020 से निरंतर)

अवर सचिव

► श्री अजय नथानियल (07.11.2016 से निरन्तर)

अनुभाग अधिकारी

► श्री संतोष भार्गव (24.12.2016 से निरन्तर)

★ विभागाध्यक्ष कार्यालय ★

जेल महानिदेशक

► श्री संजय चौधरी (06.09.2016 से 31.01.2021 तक)

► श्री अरविंद कुमार (01.02.2021 से निरन्तर)

अतिरिक्त जेल महानिदेशक

► श्री सुधीर कुमार शाही (03.11.2016 से 01.02.2021 तक)

► श्री जी. आर. मीना (07.12.2016 से निरन्तर)

► श्री आशुतोष रॉय (27.07.2020 से निरन्तर)


जेल उप महानिदीक्षक

► डॉ. सुहेल अहमद (13.07.2007 से निरन्तर)

► श्री संजय पाण्डेय (09.11.2015 से निरन्तर)


► श्री एम. आर. पटेल (09.11.2015 से निरन्तर)

जेल विभाग, मंत्रालय की विभागीय संरचना



जेल मुख्यालय की विभागीय संरचना

महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं



भाग - एक

1. विभागीय संदर्भना

1.1 विभागाध्यक्ष कार्यालय की संदर्भना

जेल विभाग (मंत्रालय) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं का कार्यालय जेल मुख्यालय के रूप में कार्यरत है।

1.2 अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेल) की जानकारी

विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन प्रदेश की केन्द्रीय जेल इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सतना, उज्जैन, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद तथा जिला जेल, रत्लाम एवं शिवपुरी सर्किल जेलों हैं। सर्किल जेलों के अधीक्षकों का दायित्व अपने अधीनस्थ जेलों एवं वहां पदस्थ कनिष्ठ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखना है।

प्रदेश में स्थित केन्द्रीय जेलों, जिला जेलों, खुली जेलों एवं सब जेलों में बंदी आवास क्षमता 28675 है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में कुल 45484 बंदी परिरुद्ध हैं। इनमें दंडित बंदी 13652, विचाराधीन बंदी 31712 एवं अन्य बंदी 120 हैं।

केन्द्रीय जेलें (11)

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी एवं होशंगाबाद।

जिला जेलें (41)

अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, झावुआ, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, धार, बैतूल, रत्लाम, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, शाजापुर, सीधी, मंदसौर, मुरैना, बालाघाट, गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, भिंड, पन्ना, विदिशा, खरगौन, रायसेन, मंडला, कटनी, नीमच, अशोकनगर, श्योपुरकलां, बैड़न, उमरिया, हरदा, डिंडोरी, आगर, अनूपपुर एवं भोपाल।

सब जेलें (73)

कन्नौद, गरोठ, जावरा, जोबट, तराना, नरसिंहगढ़, नागौद, पिपरिया, बुढ़ार, बेगमगंज, बिजावर, मंडलेश्वर, महिदपुर, मैहर, सबलगढ़, सरदारपुर, सिहोरा, सेंधवा, खाचरौद, पिछोर, अमरवाड़ा, मेहगांव, वारासिवनी, लवकुश नगर, बैहर, सिवनीमालवा, नसरुल्लागंज, सारंगपुर, सैलाना, बागली, देपालपुर, महू, लखनादौन, पाटन, कोलारस, गोहद, मुलताई, नौगांव, जावद, सांवेर, कसरावद, जतारा, जौरा, अम्बाह, निवाड़ी, डबरा, ब्यौहारी, करेरा, गौहरगंज, शुजालपुर, बरेली, हटा, लटेरी, गंजबासौदा, सेवड़ा, पोहरी, खुरई, सुसनेर, धरमपुरी, बड़वाह, मऊगंज, रहली, चाचौड़ा, बंडा, पवई, मनावर, लहार, बदनावर, महेश्वर, सोनकच्छ, विजयपुर, त्योंथर एवं बड़नगर।

- | | |
|--|--|
| • खुली जेलें | 06 होशंगाबाद, इंदौर, सागर, सतना, जबलपुर, भोपाल |
| • क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान | 01 भोपाल |
| • जेल प्रशिक्षण केन्द्र | 01 सागर |

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण (जैलों का सर्किलवार विवरण)

1. इंदौर सर्किल : (10)

- केन्द्रीय जेल, इंदौर
- जिला जेल, इंदौर
- जिला जेल, धार
- जिला जेल, खंडवा
- खुली जेल, इंदौर
- सब जेल, सरदारपुर
- सब जेल, महू
- सब जेल, देपालपुर
- सब जेल, सांवर
- सब जेल, बड़वाह

2. बड़वानी सर्किल : (10)

- केन्द्रीय जेल, बड़वानी
- जिला जेल, अलीराजपुर
- जिला जेल, खरगोन
- सब जेल, जोबट
- सब जेल, मंडलेश्वर
- सब जेल, सेंधवा
- सब जेल, कसरावद
- सब जेल, धरमपुरी
- सब जेल, मनावर
- सब जेल, महेश्वर

3. उज्जैन सर्किल : (12)

- केन्द्रीय जेल, उज्जैन
- जिला जेल, शाजापुर
- जिला जेल, देवास
- जिला जेल, आगर
- सब जेल, महिदपुर
- सब जेल, तराना
- सब जेल, बागली
- सब जेल, सुसनेर
- सब जेल, सोनकच्छ
- सब जेल, शुजालपुर
- सब जेल, कन्नौद
- सब जेल, बड़नगर

4. ग्वालियर सर्किल : (13)

- केन्द्रीय जेल, ग्वालियर
- जिला जेल, मुरैना
- जिला जेल, भिंड
- जिला जेल, दतिया
- सब जेल, अम्बाह
- सब जेल, सबलगढ़
- सब जेल, डबरा
- सब जेल, गोहद
- सब जेल, मेहगांव
- सब जेल, लहार
- सब जेल, जौरा
- सब जेल, विजयपुर

13. सब जेल, सेवढा

5. सागर सर्किल : (11)

- केन्द्रीय जेल, सागर
- जिला जेल, दमोह
- जिला जेल, ठीकमगढ़
- खुली जेल, सागर
- सब जेल, बेगमगंज
- सब जेल, जतारा
- सब जेल, निवाड़ी
- सब जेल, हटा
- सब जेल, खुरई
- सब जेल, रहली
- सब जेल, बंडा

6. नरसिंहपुर सर्किल : (8)

- केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर
- जिला जेल, छिंदवाड़ा
- जिला जेल, सिवनी
- जिला जेल, बालाघाट
- सब जेल, बैहर
- सब जेल, वारासिवनी
- सब जेल, अमरवाड़ा
- सब जेल, लखनादौन

7. जबलपुर सर्किल : (7)

- केन्द्रीय जेल, जबलपुर
- जिला जेल, मंडला
- जिला जेल, कटनी
- जिला जेल, डिंडोरी
- खुली जेल, जबलपुर
- सब जेल, पाटन
- सब जेल, सिहोरा

8. भोपाल सर्किल : (11)

- केन्द्रीय जेल, भोपाल
- खुली जेल भोपाल
- जिला जेल, भोपाल
- जिला जेल, राजगढ़
- जिला जेल, सीहोर
- जिला जेल, रायसेन
- जिला जेल, विदिशा
- सब जेल, सारांगपुर
- सब जेल, नरसिंहगढ़
- सब जेल, लटेरी
- सब जेल, गंजबासौदा

9. होशंगाबाद सर्किल : (10)

- केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड अ)
- केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड ब)
- खुली जेल, होशंगाबाद
- जिला जेल, बैतूल
- जिला जेल, हरदा
- सब जेल, पिपरिया

6. सब जेल, सिवनीमालवा

- सब जेल, मुलताई
- सब जेल, नसरुल्लागंज
- सब जेल, गौहरगंज
- सब जेल, बरेली

10. सतना सर्किल : (10)

- केन्द्रीय जेल, सतना
- जिला जेल, छतरपुर
- जिला जेल, पन्ना
- खुली जेल, सतना
- सब जेल, नागौद
- सब जेल, बिजावर
- सब जेल, लवकुश नगर
- सब जेल, नौगाव
- सब जेल, मैहर
- सब जेल, पवई

11. शीवा सर्किल : (10)

- केन्द्रीय जेल, शीवा
- जिला जेल, शहडोल
- जिला जेल, सीधी
- जिला जेल, उमरिया
- जिला जेल, बैड़न (सिंगरौली)
- जिला जेल, अनूपपुर
- सब जेल, व्यौहारी
- सब जेल, बुढ़ार
- सब जेल, मऊगंज
- सब जेल, त्योंथर

12. शिवपुरी सर्किल : (9)

- जिला जेल, शिवपुरी
- जिला जेल, श्योपुर
- जिला जेल, गुना
- जिला जेल, अशोकनगर
- सब जेल, करेरा
- सब जेल, कोलारस
- सब जेल, पिछोर
- सब जेल, पोहरी
- सब जेल, चाचौड़ा

13. रत्लाम सर्किल : (10)

- जिला जेल, रत्लाम
- जिला जेल, मंदसौर
- जिला जेल, नीमच
- जिला जेल, झाबुआ
- सब जेल, जावरा
- सब जेल, खाचरौद
- सब जेल, जावद
- सब जेल, बदनावर
- सब जेल, गरोठ
- सब जेल, सैलाना

1.4 विभाग के दायित्व:

1. विभाग का दायित्व न्यायालय द्वारा विभिन्न स्वरूप के कारावास से दंडित व्यक्ति को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर, उसकी दंडावधि को यथा सम्भव व्यावसायिक प्रशिक्षण काल में व्यतीत करना तथा बंदियों की समुचित सुरक्षा, स्वास्थ्य, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा नैतिक शिक्षा प्रदान कर उनकी आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि बंदी दंडावधि व्यतीत कर जेल से मुक्त होने पर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना शेष जीवन कानून प्रिय नागरिक की तरह व्यतीत कर सके।

2. न्यायालय द्वारा ऐसे विचाराधीन आरोपी जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु आदेशित किया जाता है, उन्हें अभिरक्षा में सुरक्षित रखकर निर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:

1.5.1 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार :

- (1) वर्ष 2020 में महानिदेशक जेल के आदेश से आपात पैरोल पर रिहा हुये बंदियों की संख्या निरंक है।
- (2) वर्ष 2020 में महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत किये गये पश्चातवर्ती अवकाश प्रकरणों के अंतर्गत जेलों से अवकाश हेतु मुक्त किये गये बंदियों की संख्या 4178 है।
- (3) वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 186 बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (4) वर्ष 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 250 बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (5) वर्ष 2020 में राज्य परिवीक्षा मंडल की अनुशंसा के पश्चात शासनादेशानुसार प्रोबेशन लायसेंस पर मुक्त हुए बंदियों की संख्या 03 है।

1.5.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण:

प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, भोपाल में स्थापित है। प्रहरियों को प्रशिक्षण देने के लिए जेल प्रशिक्षण केन्द्र सागर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी तथा राज्य में स्थित राज्य एवं केन्द्र शासन के प्रशिक्षण संस्थानों में भी जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। इस संबंध में म.प्र. पुलिस एवं केन्द्रीय पैरामिलिट्री बलों से भी सहयोग प्राप्त किया गया।

जेल विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनवरी से दिसम्बर की अवधि में निम्नानुसार अत्यकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किये गये :

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या
(अ) दीर्घकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
- आधारभूत प्रशिक्षण (अधीक्षक / सहायक जेल अधीक्षक (बी.एस.एफ. टेकनपुर, ग्वालियर)	05 माह	08
- आधारभूत प्रशिक्षण (प्रहरी) (सी.आई.एस.एफ., बड़वाह)	05 माह	84
- आधारभूत प्रशिक्षण (प्रहरी) (पी.टी.सी., इंदौर)	05 माह	31
- आधारभूत प्रशिक्षण (प्रहरी) (B.S.F., टेकनपुर, ग्वालियर)	05 माह	54
- आधारभूत प्रशिक्षण (भूतपूर्व सैनिक कोटे से) (क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	45 दिवस	24

(ब)	अल्पकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
-	उच्च सुरक्षा इकाई प्रशिक्षण (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल),	06 दिवस	60
-	आम्स प्रशिक्षण (प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल),	06 दिवस	125
-	हैण्डस ऑन प्रशिक्षण (फार्मासिस्ट) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	06 दिवस	37
-	ई-प्रिजन बैसिक एवं एडवांस प्रशिक्षण (प्रहरी) (जेल मुख्यालय, भोपाल)	01 दिवस	772
-	ई-ऑफिस प्रायोगिक प्रशिक्षण (जेल मुख्यालय, भोपाल)	01 दिवस	72
(स)	ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन		
-	Implementation of Bangkok Rules in Indian Prisons System (Institute of Correctional Administration (ICA), Chandigarh.)	01 दिवस	05
-	Use of Technology in Prison Administration	03 दिवस	03
-	Management Principle for Prison Officers (BPR&D, CAPT, Kanhasaiya, Bhopal)	05 दिवस	04

योग 1279

1.5.3 जेलों में वीडियो कान्फ्रैंसिंग

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश की जेलों में परिलक्ष्म बंदियों की पेशियां वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से कराई गई हैं। इस व्यवस्था के लिए वीडियो कान्फ्रैंसिंग हेतु उपकरण उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। सभी जेलों पर वीडियो कान्फ्रैंसिंग कक्षों का निर्माण जेल विभाग द्वारा कराया गया है। वर्ष 2020 में बंदियों की कुल 2,64,401 पेशियां अदालत में हुई, इनमें से 2,22,275 पेशियां (84.06%) वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से तथा शेष 42,126 पेशियां (15.94%) पुलिस बल द्वारा कराई गईं।

1.5.4 ई-प्रिजन कार्यक्रम

प्रदेश की 124 जेलों (11 केन्द्रीय, 40 जिला जेल एवं 73 सब जेल) पर ई-प्रिजन कार्यक्रम हेतु बजट प्रदान किया गया है जिसमें ई-प्रिजन कार्य हेतु आवश्यक कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण प्रदाय किये जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश की 120 (11 केन्द्रीय, 40 जिला जेल एवं 69 सब जेल) जेलों पर ई-प्रिजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इन सभी जेलों पर पी.एम.एस. एवं वी.एम.एस. मॉड्यूल पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश की 63 जेलों पर ई-भुलाकात सेवा भी उपलब्ध करायी गई है जिसके माध्यम से विजिटर (मुलाकाती) वी.सी. के माध्यम से बंदियों से मुलाकात कर सकते हैं। आइ.सी.जे.एस. (Interoperable Criminal Justice System) प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रगति पर है जेल मुख्यालय तथा केन्द्रीय जेल भोपाल द्वारा टेस्टिंग की जा रही है। इस प्रणाली के प्रमुख स्तंभ पुलिस, कोर्ट, जेल, प्रॉसिक्यूशन, एफ.एस.एल. एवं फिंगर प्रिट विभाग हैं।

1.5.5 ई-प्रिजन लैब

जेलों के कर्मचारियों को ई-प्रिजन तथा अन्य कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु जेल मुख्यालय, भोपाल में ई-लैब प्रारंभ की गई। उक्त लैब में कर्मचारियों को बेसिक ई-प्रिजन, एडवांस ई-प्रिजन, बेसिक कम्प्यूटर तथा एडवांस कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान ई-प्रिजन बेसिक एवं एडवांस के 48 एवं ई-ऑफिस के 03 प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें क्रमशः 535, 593 तथा 134 कुल 1262 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।

1.5.6 इलेक्ट्रिक वायर फैसिंग

जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु 11 केन्द्रीय एवं 03 जिला जेलों पर इलेक्ट्रिक वायर फैसिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। 24 जिला जेलों एवं 03 सब जेलों पर इलेक्ट्रिक वायर फैसिंग का कार्य होना प्रस्तावित है।

1.5.7 जेल मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना

राज्य में जेलों की स्थितियों की निरंतर निगरानी हेतु राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें 20 जेलों में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की सतत निगरानी की जा रही है। कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सुरक्षा संबंधी घटनाओं की वर्गीकरण अनुसार तत्काल रिपोर्टिंग की जाती है तथा दैनिक स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

1.5.8 तकनीकी शाखा

जेल विभाग में तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए जेल मुख्यालय में ‘तकनीकी उपकरण एवं सेवाएं शाखा’ (TESS) स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत ई-प्रिजन, सी.सी.टी.वी., वीडियो कान्फ्रैंसिंग, आई-टी तथा तकनीकी उपकरण आदि से संबंधी कार्य किया जा रहा है।

1.5.9 विधिक सहायता

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं समय-समय पर माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली याचिकाओं में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेतु विधि अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

केन्द्रीय जेलों पर पदस्थ विधि अधिकारी ऐसे निर्धन बंदियों के आवेदन पत्रों को जो अधिवक्ता की फीस देने के लिए सक्षम नहीं हैं, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के समक्ष विधिक सहायता हेतु प्रस्तुत करते हैं, जहां से बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर विधिक सहायता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते हैं, ताकि बंदियों को नियमों की जानकारी और विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। विगत वर्ष प्रदेश की जेलों में विधिक सहायता शिविर लगाकर 4890 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

1.5.10 स्वास्थ्य परीक्षण

प्रदेश की जेलों में निरुद्ध होने वाले प्रत्येक बंदी का प्रतिमाह नियमित रूप से जेल पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रतिमाह बंदियों के किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षणों के प्रतिवेदन आयोग द्वारा की गई अनुशंसानुसार जेलों से निर्धारित प्रपत्र में जेल मुख्यालय को प्राप्त होते हैं। वर्ष 2020 में कुल 3,08,671 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया।

1.5.11 जेलों में निरुद्ध बंदियों को पारिश्रमिक

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं समय-समय पर विभिन्न आयोगों द्वारा की गई अनुशंसा के परिपालन में सश्रम कारावास से दंडित बंदियों को जेलों में श्रम कार्यों में लगाया जाता है। मध्यप्रदेश की जेलों में परिरुद्ध बंदियों के सश्रम कारावास के दौरान किये गये कार्यों के लिये देय पारिश्रमिक की दरें निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	बंदियों की श्रेणी	पारिश्रमिक दर
1.	जेल उद्योग कार्य में लगे कुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 120.00
2.	जेल / उद्योग कार्य में लगे अकुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 72.00
3.	कृषि कार्य में लगे बंदियों के लिए (प्रति बंदी 06 घंटे के कार्य हेतु)	रुपये 72.00

पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित करने हेतु आयोजित बैठक में यह प्रस्तावित किया गया था कि भविष्य में बंदियों की पारिश्रमिक राशि को समय-समय पर जारी मूल्य सूचकांक (**Price Index**) से जोड़ दिया जाये, जिससे पारिश्रमिक दर में स्वतः वृद्धि हो जायेगी, उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

वर्ष 2020 में बंदियों को कुल रुपये 3,85,89,714/- की पारिश्रमिक राशि प्रदाय की गई है।

1.5.12 बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा

प्रदेश की केन्द्रीय एवं जिला जेलों में बंदियों को बाहर से आने वाले दूरभाष (इनकमिंग फोन) की सुविधा प्रदान की गई है। केन्द्रीय एवं जिला जेलों पर अच्छा आचरण रखने वाले बंदियों को दूरभाष की सुविधा एक बार में अधिकतम वार्तावधि 05 मिनट के लिए प्रदान की जाती है। बंदियों को दूरभाष की सुविधा कार्यालयीन समय में प्रदान की जाती है। सुविधा का लाभ प्राप्त कर बंदी अपने परिवारजनों से दूरभाष पर वार्तालाप कर सकते हैं।

1.5.13 जेल उद्योग, कृषि एवं उद्यान

प्रदेश की केन्द्रीय जेलों एवं कुछ जिला जेलों में जहाँ लम्बी सजा अवधि वाले बंदियों को रखा जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण सह उत्पादन के उद्देश्य से विभिन्न इकाईयाँ संचालित हैं। वर्ष 2020 में 1755 बंदियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के प्रशिक्षण हेतु बुनाई, सूती दरी, आसन, कालीन, बढ़ईगिरी, प्रिंटिंग, सिलाई, लौहारी, बर्तन, पावरलूम, सीमेंट के उत्पाद (गमले, पेवर टाइल्स, जाली एवं चेयर) चित्रकला एवं काष्ठकला जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

प्रदेश की जेलों में वर्ष के दौरान कृषि एवं बागवानी से कुल रूपये 20,40,309/- एवं जेल उद्योगों से रूपये 1,82,34,773/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

1.5.14 आधुनिक मुलाकात व्यवस्था

प्रदेश की जेलों में टफन ग्लास लगाकर इंटरकॉम के माध्यम से आधुनिक मुलाकात व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जो कि सुरक्षित होने के साथ ही सुविधाजनक भी है। प्रदेश की 124 जेलों में आधुनिक मुलाकात सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

1.5.15 बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण :

प्रदेश की जेलों में नेशनल कांउसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एन.सी.वी.टी.) के मापदंड अनुसार केन्द्रीय जेल, उज्जैन, जिला जेल बैतूल एवं धार में आई.टी.आई. की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय जेल उज्जैन में 04 ट्रेडों (इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, टू-ह्वीलर मैकेनिक एवं ट्रैक्टर मैकेनिक) में 31 बंदियों, जिला जेल बैतूल में 03 ट्रेडों (ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्ट्री ट्रेड) में 13 बंदियों एवं जिला जेल धार में 03 ट्रेडों (ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्ट्री ट्रेड) में 14 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रदेश की केन्द्रीय जेल खालियर में बढ़ई, सिलाई, प्रिंटिंग, पावरलूम, लौहारी, दरी एवं कम्बल निर्माण के कार्य में 85 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल उज्जैन के अंतर्गत केन्द्रीय जेल उज्जैन में पावरलूम, कम्बल, सिलाई, बुनाई, ऑफसेट प्रिंटिंग, लौहारी, बढ़ई, मूर्ति एवं छपाई में 110 बंदियों, जिला जेल शाजापुर में बढ़ई कार्य में 6 बंदियों एवं जिला जेल देवास में सिलाई, बढ़ई एवं लौहारी से संबंधित कार्य में 30 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल सागर में सिलाई, बुनाई, बढ़ई, स्क्रीन प्रिंटिंग एवं हथकरघा में 303 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल रीवा के अंतर्गत केन्द्रीय जेल रीवा में बुनाई, प्रिंटिंग, बढ़ई, लौहारी एवं सिलाई कार्य में 169 बंदियों, जिला जेल शहडोल में सिलाई कार्य में 02 बंदियों एवं जिला जेल बैठन (सिंगरौली) में सिलाई, बढ़ई एवं लौहारी कार्य में 12 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल नरसिंहपुर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में काष्ठकला, बुनाई, सिलाई, कम्बल, पावरलूम एवं प्रिंटिंग में 59 बंदियों एवं जिला जेल छिन्दवाड़ा में सिलाई कार्य में 10 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल इंदौर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल इंदौर में लेदर, सिलाई, पावरलूम, बढ़ई, प्रिंटिंग, स्टील एवं बुनाई में 86 बंदियों तथा जिला जेल इंदौर में ब्लॉक प्रिंटिंग एवं बेकरी में 09 एवं जिला जेल धार में 14 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल होशंगाबाद के अंतर्गत केन्द्रीय जेल होशंगाबाद में पावरलूम, बढ़ई, सिलाई के कार्य में 38 बंदियों एवं जिला जेल हरदा में सिलाई कार्य में 03 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल जबलपुर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल जबलपुर में बुनाई, सिलाई, लौहारी एवं ऑफसेट प्रिंटिंग, टीवी रिप्रेयरिंग, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, बेकरी एवं पावरलूम में 411 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल सतना में बढ़ई, प्रिंटिंग, सिलाई, बुनाई एवं कम्बल निर्माण के कार्य में 182 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल बड़वानी में पावरलूम, सिलाई, बढ़ई, स्क्रीन प्रिंटिंग, फैब्रीकेशन एवं इलेक्ट्रिक वाईडिंग के कार्य में 38 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल शिवपुरी के अंतर्गत जिला जेल श्योपुर में सिलाई कार्य में 10 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल भोपाल में प्रिंटिंग, चप्पल, लौहारी, बढ़ई, कम्बल, पेंटिंग, बुनाई, सिलाई पावरलूम एवं गुड़िया बनाने के कार्य में 270 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

1.5.16 हंदिया गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा:

इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा बंदियों को निःशुल्क शिक्षा की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की केन्द्रीय जेल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, सागर, नरसिंहपुर, सतना, होशंगाबाद, जबलपुर, जिला जेल शहडोल, सिवनी एवं छिंदवाड़ा में निःशुल्क अध्ययन केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू के माध्यम से बैचलर प्रिपेरेटरी प्रोग्राम (बी.पी.पी.), बैचलर डिग्री प्रोग्राम (बी.डी.पी.), सर्टिफिकेट इन रुरल डेवलपमेन्ट (सी.आर.डी.), सर्टिफिकेट इन फूड एण्ड न्यूट्रीशन (सी.एफ.एन.), सर्टिफिकेट इन एच.आई.व्ही. एण्ड फैमिली एजुकेशन (सी.ए.एफ.ई.), बी.ए, बी.कॉम., एम.ए. एवं एम.बी.ए. के कोर्स संचालित हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू की ओर से पाठ्यसामग्री व प्राध्यापक उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2020 के दौरान इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में 831 परीक्षार्थी (बंदी) शामिल हुए।

1.5.17 बंदियों को शैक्षणिक सुविधा :

प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा है। जेल विभाग द्वारा समस्त निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षायें चलाई जाती हैं। पहले से शिक्षित बंदियों को आगे शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है और पूर्ण सहयोग दिया जाता है। जो बंदी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उन्हें स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है तथा समस्त व्यय एवं पुस्तकें विभाग द्वारा प्रदाय की जाती हैं। प्रदेश की जेलों में बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक/सहायक शिक्षक के 62 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 56 पद भरे हैं। वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न कक्षाओं में 1149 बंदियों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा हिन्दी राष्ट्रीय भाषा परीक्षा में 473 बंदी शामिल हुए। वर्ष 2020 में 4353 दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को साक्षर बनाया गया।

1.5.18 सांस्कृतिक कार्यक्रम:

प्रदेश की जेलों में वर्ष 2020 में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समय—समय पर बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किये गये। प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:—

- ◆ केन्द्रीय जेल, भोपाल में दिनांक 12.8.2020 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर आधारित झाँकी प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जेल विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए।
- ◆ प्रदेश की जेलों में ईद—उल—फितर के अवसर पर परिरुद्ध मुस्लिम धर्मावलम्बी बंदियों को सामूहिक नमाज सम्पन्न कराई गयी, रक्षा बंधन के अवसर पर जेल में परिरुद्ध बंदियों को उनकी बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया एवं दीपावली के त्योहार पर बंदियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पर्व हर्षोत्तम के साथ मनाया गया।
- ◆ गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेलों द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जेल विभाग की उपलब्धियों पर झाँकियां निकाली जाती है। 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई झाँकियों में केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर तथा केन्द्रीय जेल सागर को प्रथम स्थान, केन्द्रीय जेल, भोपाल, केन्द्रीय जेल, सतना को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।
- ◆ केन्द्रीय जेल भोपाल, सतना एवं नरसिंहपुर में इन हाउस रेडियो स्टेशन (जेलवाणी) द्वारा निरंतर प्रसारण किया जा रहा है।

1.5.19 आध्यात्मिक कार्यक्रम :

प्रदेश की जेलों में बंदियों के बौद्धिक विकास एवं नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1.5.20 योग प्रशिक्षण:

प्रदेश की जेलों में बंदियों को स्वस्थ एवं निरोग रखने के उद्देश्य से बंदियों हेतु प्रतिदिन योगाभ्यास एवं समय—समय पर योग शिविरों का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय जेल, सतना में दिनांक 21.06.2020 छठे योग दिवस के अवसर पर विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया गया।

केन्द्रीय जेल, जबलपुर में प्रतिदिन योगाभ्यास किया जाता है एवं जिला जेल डिंडौरी द्वारा योग दिवस के अवसर पर योगासनों का अभ्यास किया गया।

केन्द्रीय जेल, उज्जैन में दिनांक 21.06.2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए योग दिवस का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय जेल, भोपाल में दिनांक 27.01.2020 को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा एक सप्ताह का योग प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन कराया गया।

1.5.21 प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति:

प्रदेश की केन्द्रीय जेल—भोपाल, सतना, जबलपुर, खालियर, सागर, रीवा, उज्जैन एवं नरसिंहपुर तथा जिला जेल—शाजापुर एवं देवास की गौशालाओं में 1625 गोवंश उपलब्ध हैं।

1.6 विभाग की प्राथमिकताएं :

1. बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेलों में आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन।
2. आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सुधार के उद्देश्य से पुनर्संरचना।
3. जेलों में अतिसंकुलता दूर करने के लिए बंदी आवास क्षमता में वृद्धि।
4. विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्यवाही करना।
5. बंदियों के सामाजिक पुनर्स्थापन हेतु आजीविका मूलक व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार करना।
6. जेल कर्मचारियों की व्यावसायिक निपुणता में सुधार करना।
7. बंदियों एवं कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा, पाकशाला, स्वच्छता, जल—प्रबंधन, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेल वातावरण में सुधार करना।
8. बंदियों के मानव अधिकारों का संरक्षण।
9. बंदियों के विभिन्न तनावों को दूर करने हेतु प्रशिक्षण/सलाह देकर उनके जेल प्रवास को यथासम्भव तनावमुक्त एवं सुधारोन्मुख बनाना।


महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.7.1 जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की संख्या :

(दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में)

क्र.	जेल श्रेणी	संख्या	आवास क्षमता			परिरुद्ध बंदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	केन्द्रीय जेल	11	13359	717	14076	20393	926	21319
2.	जिला जेल	41	8757	728	9485	15229	804	16033
3.	खुली जेल	06	94	—	94	3	—	3
4.	सब. जेल	73	4588	432	5020	8047	82	8129
	योग	131	26798	1877	28675	43672	1812	45484

INMATE POPULATION & OVERCROWDING IN JAILS



1.7.2 विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण :

क्र.	विवरण	परिरुद्ध बंदियों की संख्या		
		31 दिसम्बर 2018	31 दिसम्बर 2019	31 दिसम्बर 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	परिरुद्ध बंदियों की संख्या	42057	44603	45484
2.	क्षमता से अधिक बंदियों का प्रतिशत	47.05	55.31	58.62

1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण :

क्र.	विवरण	31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	पु.	म.	योग	
1.	दर्जित बंदी	17913	713	18626	19464	789	20253	13117	535	13652
2.	विचाराधीन बंदी	22329	794	23123	23189	968	24157	30437	1275	31712
3.	अन्य बंदी	306	02	308	192	01	193	118	02	120
	योग	40548	1509	42057	42845	1758	44603	43672	1812	45484

SHARE OF DIFFERENT TYPES OF PRISON INMATES TO
TOTAL INMATES



1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण :

क्र.	उम्र	31 दिसम्बर 2018			31 दिसम्बर 2019			31 दिसम्बर 2020		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	18 वर्ष से 21 वर्ष	4852	69	4921	4673	68	4741	4914	55	4969
2.	21 वर्ष से 30 वर्ष	15367	395	15762	17124	428	17552	17713	510	18223
3.	30 वर्ष से 50 वर्ष	15262	712	15974	16726	929	17655	16940	944	17884
4.	50 वर्ष से अधिक	5067	333	5400	4322	333	4655	4105	303	4408
	योग	40548	1509	42057	42845	1758	44603	43672	1812	45484

भाग - दो

2.1 बजट सिंहावलोकन

जेल विभाग में अधिकांश खर्च अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में कम अथवा स्थगित नहीं किया जा सकता है, जैसे – बंदियों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं अन्य खर्च, बंदियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं जिनका आधार कोई निश्चित धनराशि नहीं है, अपितु इनका स्केल निर्धारित है। नियमों के अधीन बंदियों के लिए खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य वस्तुओं में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। जेल के अंदर प्रविष्ट होने वाले बंदियों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है एवं आन्दोलन आदि के कारण जेलों पर बंदियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से व्यय भी बढ़ जाता है।

2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय:-

पिछले सालों में जेल विभाग का बजट प्रस्ताव राशि, स्वीकृत बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रस्तावित बजट प्रावधान	स्वीकृत बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	(रुपये लाखों में)
				बचत (-)
1	2	3	4	5
2016–2017	35659.65	34235.82	30355.79	(-) 3880.03
2017–2018	41528.61	29736.27	29268.67	(-) 467.60
2018–2019	36129.26	34917.85	32876.09	(-) 2041.76
2019–2020	40511.48	40469.71	36934.66	(-) 3535.05
2020–2021	41198.11	41198.11	27551.26	(31.12.2020 की स्थिति में)

वर्ष 2020–2021 के लिये प्राप्त बजट में से विभिन्न मदों में व्यय राशि की जानकारी दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में निम्नानुसार है:

क्र. मद	व्यय राशि (रुपये में)
1. वेतन, भत्ते आदि	1814195000
2. कार्यालय व्यय	105058000
3. सफाई	67580000
4. विशेष सेवाओं हेतु मानदेय (बंदी पारिश्रमिक)	63396000
5. स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण (भवन मरम्मत)	20793000
6. वाहन (मरम्मत)	1307000
7. दवाईयां क्रय	5211000
8. राशन का मूल्य (भोजन व्यय)	510202000
9. कपड़े, बिस्तर तथा टेंट्स	27255000
10. अन्य प्रभार (बंदी परिवहन, परीक्षा, प्रशिक्षण मदों में)	7616000
11. अन्य शेष मदों में	85613000
योग	2755126000

इसके अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 303000000 का आवटन प्राप्त हुआ, जिसमें रो दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में राशि रुपये 212920000 व्यय की गई।

भाग - तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं:

वार्षिक योजना 2020-2021

वार्षिक योजना 2020-21 में वृहद निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 30.30 करोड़ का प्रावधान पूँजीगत मद में रखा गया है, जिसमें गत वर्ष स्वीकृत 22 बैरिक निर्माण, नरसिंहपुर में खुली जेल निर्माण, भिंड एवं छिंदवाड़ा में नई जेल निर्माण कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से कराए जा रहे हैं।

वर्ष 2020-21 में इंदौर में नवीन केन्द्रीय जेल निर्माण हेतु कुल प्रावकलित राशि रूपये 208.68 करोड़ में से प्रथम चरण में राशि रूपये 60.00 करोड़ के कार्य की स्वीकृति दी गई है।

केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में बेकरी यूनिट हेतु वर्कशेड निर्मित करने एवं राशि रूपये 79.01 लाख की स्वीकृति दी गई है। उक्त सभी निर्माण कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2019-20 में 11 जेलों में 38 बैरिकों के निर्माण हेतु स्थाई वित्त समिति से अनुमोदन हो चुका है, प्रशासकीय स्वीकृत की कार्रवाई शेष है।

राज्य योजना :

1. पर्सेपेक्टिव प्लान के अधीन निर्माणाधीन नवीन जेल, भिंड का कार्य प्रगति पर है।
2. केन्द्रीय जेल, भोपाल में अंडासेल का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 100 विस्तरों वाले गार्ड रूम का कार्य पूर्ण हो चुका है।
3. केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर परिसर में 20 बंदियों हेतु खुली कालोनी हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 11.10.2020 को राशि रूपये 227.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में प्रगति पर है।
4. केन्द्रीय जेल सागर में पी.पी.पी. मॉडल के तहत बंदियों को सूती साड़ियां बनाने का प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है।
5. वर्ष 2019-20 में प्रदेश की 14 जेलों में 22 वर्कशॉप बैरकों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। इस हेतु वर्ष 2019-20 के बजट में राशि रूपये 4.80 करोड़ प्रावधानित है। बैरकों का निर्माण प्रगति पर है।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:

प्रदेश की समस्त जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम संचालित करने हेतु एम.एच.ए. भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, इसके तहत जेलों में परिरुद्ध बंदियों का डाटाबेस तैयार किया जाता है।

ई-प्रिजन योजना भारत सरकार की योजना है इस योजना में प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध बंदियों का लेगेसी डाटा फीड करने के साथ-साथ 09 मॉड्यूल में कार्य किया जाना है। प्रदेश की समस्त जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम का संचालन करने हेतु योजना से संबंधित आई.सी.टी. सेटअप (कम्प्यूटर एवं अन्य सह-उपरकरण) उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में 117 जेलों में ई-प्रिजन के अंतर्गत बंदियों के लेगेसी डाटा की प्रविष्टि की जा रही है।

एम.एच.ए. भारत सरकार से वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक कुल राशि रु. 634.00 लाख उपलब्ध कराई गई है, जिसका स्थाई वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर सभी जेलों पर ई-प्रिजन कार्यक्रम

संचालित किया जा रहा है। सभी जेलों पर आई.सी.टी. सेटअप, (हार्डवेयर) नेट कनेक्टिविटी, डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए गए। जेल मुख्यालय में ई-प्रिजन लेब स्थापित कराई गई, जिसमें जेल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं / विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही योजना की जानकारी निरंक है।

3.3 अन्य योजनाएँ :-

प्रतिकर्ष योजना :

जेल विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई, अपराधों के पीड़ित परिवारों को प्रतिकर राशि देने की योजना प्रशासन की अभिनव योजना है, जिसके अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराये गये काम के बदले दी जाने वाली कुल मजदूरी की पचास प्रतिशत राशि एक पृथक सामान्य निधि बनाकर कलेक्टर एवं जेल अधीक्षक के संयुक्त खाते में कोषालय में जमा की जा रही है। इस सामान्य निधि की राशि का उपयोग पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिकर दिये जाने में किया जाता है। शासन द्वारा पीड़ित की पात्रता का निर्धारण एवं संबंधित परिवार को प्रतिकर की राशि वितरित करने के लिए जेलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक—सदस्य एवं संबंधित जेल अधीक्षक—सदस्य सचिव बनाये गये हैं। शासन के आदेशानुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे एवं चिन्हित धाराओं, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, के बंदियों से संबंधित पीड़ित परिवार के सभी उत्तराधिकारियों को समान अनुपात में प्रतिकर की राशि देय होगी।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. जांच समिति / आयोग:

जेल विभाग में वर्ष 2020–21 में किसी भी प्रकार की जांच समिति गठित नहीं हुई है।

2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

(अ) बंदियों से संबंधित: जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण – 16

प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ – 09

(ब) कर्मचारियों से संबंधित: जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण – 13

प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ – 08

(स) विभागीय जांच:

पूर्व वर्ष के लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष
73	106	76	103

3 विभाग में स्वीकृत एवं भरे पदों की श्रेणीवार जानकारी :

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
प्रथम श्रेणी				
1	महानिदेशक जेल	01	01	00
2	अति. महानिदेशक जेल	01	01	00
3	अति. जेल महानिरीक्षक	01	00	01
4	जेल उप महानिरीक्षक	05	03	02
5	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	12	09	03
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	00
7	कार्यपालन यंत्री	01	00	01
	योग	22	15	07
द्वितीय श्रेणी				
1	व्याख्याता मनोविज्ञान	01	00	01
2	अधीक्षक, जिला जेल	41	23	18
3	उप जेल अधीक्षक	78	56	22
4	संयुक्त संचालक, वित्त	01	01	00
5	उप संचालक, वित्त	01	00	01
6	सहायक संचालक, वित्त	01	01	00
7	उद्योग अधीक्षक	01	01	00
8	सहायक यंत्री	02	01	01
9	सांख्यिकी एवं अनुसंधान अधिकारी	01	01	00
10	विधि अधिकारी	05	02	03

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
11	मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	01	00	01
12	वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	06	04	02
13	चिकित्सा अधिकारी	58	15	43
	योग	197	105	92
	तृतीय श्रेणी			
1	सहायक जेल अधीक्षक	269	158	111
2	कार्यालय अधीक्षक	01	01	00
3	सहायक कार्यालय अधीक्षक	01	01	00
4	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	03	01	02
5	सहायक ग्रेड-1	06	01	05
6	सहायक ग्रेड-2	37	27	10
7	लेखापाल / लेखापरीक्षक	43	22	21
8	सहायक ग्रेड-3	41	33	08
9	शीघ्रलेखक	04	02	02
10	स्टेनोटायपिस्ट	03	02	01
11	कम्प्यूटर आपरेटर	01	00	01
12	सहायक सांखियिकी अधिकारी	01	00	01
13	कल्याण अधिकारी	06	02	04
14	परिवीक्षा अधिकारी	04	01	03
15	शिक्षक / सहायक शिक्षक	62	56	06
16	संगीत शिक्षक	02	02	00
17	महिला संगीत शिक्षक	01	00	01
18	उप उद्योग अधीक्षक	05	04	01
19	वरिष्ठ बढ़ईगिरी अनुदेशक	04	04	00
20	वरिष्ठ बुनाई अनुदेशक	03	02	01
21	बढ़ई अनुदेशक	10	09	01
22	बुनाई अनुदेशक	05	04	01
23	महिला सिलाई एवं कासिदाकारी अनुदेशक	01	01	00
24	सिलाई अनुदेशक	06	04	02
25	लौहार अनुदेशक	01	00	01
26	फोरमेन प्रेस	05	04	01
27	कम्पोजिटर	05	02	03
28	मशीनमैन प्रेस	04	02	02
29	पम्प चालक	02	01	01
30	बिजली मिस्त्री	01	00	01
31	बुकबाइंडर	01	01	00
32	पावरलूम अनुदेशक	02	01	01

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
33	पावरलूम मशीनमेन	01	01	00
34	साबुन एवं फिनाईल अनुदेशक	01	00	01
35	बैण्ड मास्टर	01	00	01
36	मैट्रन	05	02	03
37	पर्यवेक्षक	04	03	01
38	वाहन चालक	61	25	36
39	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक	08	03	05
40	सैनिक ड्रिल इन्स्ट्रक्टर	01	01	00
41	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (कम्पाउण्डर)	93	55	38
42	पुरुष नर्स (मेलनर्स)	39	30	09
43	लेबटेक्निशियन	05	03	02
44	मानचित्रकार	01	00	01
45	उपयंत्री	02	00	02
46	अन्वेषक	01	00	01
47	प्रमुख मुख्य प्रहरी	185	04	181
48	मुख्य प्रहरी	725	466	259
49	प्रहरी	4698	4415	283
	योग	6371	5356	1015
1	चतुर्थ श्रेणी	313	288	25
	महायोग	6903	5764	1139

जिला जेल अधीक्षक के 03 पदों, सहायक जेल अधीक्षक के 13 पदों एवं प्रहरी के 283 पदों की भर्ती प्रक्रिया क्रमशः राज्य लोक सेवा आयोग एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल में प्रचलन में है।

- राज्य स्थानांतरण बोर्ड द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 07 राजपत्रित एवं 118 अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये हैं।

भाग - पांच

अभिनव प्रयास

5.1 अभिनव प्रयास

1. पी.पी.पी. मॉडल के तहत उद्योगों की स्थापना :

केन्द्रीय जेल, सागर में पी. पी. पी. मॉडल के अंतर्गत सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ संस्था के माध्यम से बंदियों को हथकरघा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवनिर्मित कार्यशाला में 54 हैंडलूम तथा 02 प्रशिक्षक उपलब्ध कराये गये हैं। संस्था द्वारा कच्चा माल प्रदाय किया जाता है, तथा धोती, साड़ी तथा रुमाल का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कार्य में 100 बंदी नियोजित हैं।

2. खुली जेलों का निर्माण :

प्रदेश की जेलों में बंदियों की ओवर क्राउडिंग कम करने, बंदियों को सामाजिक पुनर्स्थापन में सहायता करने तथा शासन के वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से 10 खुली जेलों को प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी जिसमें से 06 खुली जेलें, खुली कॉलोनी होशंगाबाद, इंदौर, सागर, जबलपुर, भोपाल एवं सतना प्रारंभ की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 में नरसिंहपुर में खुली जेल हेतु राशि रूपये 2,27,50,000/- की स्वीकृति दी गई है, निर्माण अंतिम चरण में है।

3. जेलों की सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण :

जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देते हुए, जेलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने, इलेक्ट्रिक वायर फैसिंग करने, वॉच टावर तथा गार्ड रूम बनाने, हाईमास्ट से प्रकाश करने के अभिनव कार्य स्वीकृत किए गए।

4. जेल कर्मियों को प्रभावी प्रशिक्षण :

म0प्र0 जेल विभाग में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण संस्थान का अभाव है जबकि वर्दीधारी सुरक्षा विभाग में निरन्तर सजगता, सतर्कता, अनुशासन एवं अद्यतन तकनीकी ज्ञान के साथ शारीरिक, मानसिक रूप से स्फूर्तिवान होना अनिवार्य आवश्यकता है।

अतः प्रभावी प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया। नवनियुक्त जेल अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों एवं जेल प्रहरियों को बी.एस.एफ., टेकनपुर, पी.टी.सी., इंदौर, सी.आई.एस.एफ. बड़वाह एवं जेल प्रशिक्षण संस्थान में प्रभावी शारीरिक एवं शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

5. जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह का प्रावधान :

म0प्र0 जेल विभाग में सकारात्मक कार्यों के प्रोत्साहन हेतु कोई राज्य स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था नहीं थी। अतः जेल कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करने एवं मनोबल वृद्धि के उद्देश्य से “जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह” प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

6. कल्याण कोष की स्थापना :

जेल विभाग के लगभग दस हजार जेल कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याणार्थ शासन स्वीकृति प्राप्त कर जेल कल्याण कोष की स्थापना जेल मुख्यालय एवं प्रत्येक इकाई पर की गई है।

इसमें प्रतिवर्ष जेल कर्मी अपने वेतन का 1 प्रतिशत अंशदान देते हैं। इस कोष से जेल कर्मियों एवं परिजनों के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मनोरंजन आदि से संबंधित कार्यक्रम चलाये जा सकेंगे।

5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान :

मध्यप्रदेश की विभिन्न जेलों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आठवीं कक्षा तक की शिक्षा के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए बंदियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष स्नातक के 341, स्नातकोत्तर के 4, प्राथमिक शिक्षा के 581, माध्यमिक शिक्षा के 87, उच्चतर माध्यमिक / इन्टरमीडियेट के 136, कुल 1149 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य शिक्षा मिशन के माध्यम से प्रदेश की जेलों में साक्षरता अभियान शुरू किया गया, वर्ष 2020 में 4353 बंदी सर्वशिक्षा अभियान के तहत लाभान्वित हुए हैं।

5.3. आगामी योजनाएँ :

- (1) जेल नियमावली के प्रावधान अनुसार जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से जेल कर्मियों का जेल परिसर में निवास करना आवश्यक है। जेल कर्मी शासकीय आवासों की कमी के कारण जेल परिसर के बाहर निवास करते हैं। अतः प्रावधानों के विपरीत इस परिस्थिति को समाप्त करने हेतु शासकीय आवास निर्माण योजना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
- (2) वर्ष 2020–21 में छिन्दवाड़ा एवं नरसिंहपुर में 20–20 बंदियों हेतु खुली जेल का निर्माण कराया जा रहा है।
- (3) प्रदेश की घनी आबादी में आ चुकी जेलों को सुरक्षित स्थान पर बनाया जाना प्रस्तावित है।
- (4) जेल चिकित्सक संवर्ग में संविदा नियुक्ति :

प्रदेश की जेलों में जेल चिकित्सकों के 57 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 16 पद भरे हुए हैं, शेष 41 पद रिक्त हैं। जेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा आधार पर रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति सतत रूप से की जा रही है।

5.4 मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाई गई महिला नीति के अंतर्गत जेल विभाग ने महिलाओं के लिए निम्नानुसार कार्य किए हैं :

5.4.1 महिला कैदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण :

जेल में सजा काट रही महिलाओं को विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

केन्द्रीय जेल इंदौर, सतना, बड़वानी, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, रीवा तथा जिला जेल खरगौन, रतलाम, देवास, सीधी, बैढ़न, हरदा, रायसेन, मंदसौर, बैतूल, इन्दौर, धार, गुना, सिवनी एवं कटनी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती, गुड़िया, राखी बनाना, लिफाफा निर्माण, पेपर बैग, शोपीस बनाना, अचार बनाना, खिलौने, मिट्टी के दीपक एवं दोना बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 370 महिलाओं ने प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया।

5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक राशि :

कुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 120 रुपए एवं अकुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 72 रुपए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

5.4.3. महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण :

महिला बंदियों के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिला बंदियों को विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे गुड़िया बनाना, कशीदाकारी, अगरबत्ती बनाना, फ्लावर मेकिंग, लिफाफा निर्माण, ब्यूटी पार्लर एवं एम्ब्रायडरी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.4.4. महिला बंदियों के लिए शिक्षा :

प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों को प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर तक विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। निरक्षर महिला बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। शासन द्वारा पुस्तकों एवं स्टेशनरी आदि की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। वर्ष के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में 133 महिला बंदी शामिल हुई, 504 महिला बंदियों को साक्षर बनाया गया तथा 25 महिला बंदियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की गई।

5.4.5. महिला कर्मचारियों के लिये सुविधाएं :

“मध्यप्रदेश विजन टू डिलीवर रोडमैप 2020–25” के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए सभी जेलों में चैंजिंग / कॉमन रूम, 97 पृथक महिला टॉयलेट, 114 महिला गार्ड रूम एवं 09 केन्द्रीय जेलों पर झूलाघर बनाने का प्रस्ताव है।

भाग - छः

जानकारी निरंक है।

भाग - सात सारांश

जेल विभाग अपने मुख्य दायित्व, बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्वहन करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संबंध में उन्हें विविध सेवाएं प्रदान कर समाजोपयोगी बनाने में सतत प्रयत्नशील है।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के सुधार और तनाव को कम करने के उद्देश्य से योग एवं विभिन्न सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाया गया है और पहले से शिक्षित बंदियों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। विभाग द्वारा जेलों की आवास क्षमता में वृद्धि के प्रयास सतत रूप से किए जा रहे हैं तथा परिस्कृद्ध बंदियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विधिक सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही जेल कर्मियों को सुरक्षा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जेल विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से बंदियों के आचरण एवं उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उनको दी जा रही शिक्षा एवं विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वे जेल से रिहा होने पर समाज में अच्छे नागरिक की तरह पुनर्वासित हो रहे हैं।

जेल विभाग के आवश्यक दूरभाष

क्रमांक	नाम	दूरभाष / मोबाइल		निवास स्थान
		कार्यालय	निवास	
1	2	3	4	5

विभागीय मंत्री :

1.	डॉ. नरोत्तम मिश्रा गृह एवं जेल मंत्री E-Mail - ministerlph@gmail.com	2459777 2459963	2429863 2761555 9425117366	बी-6, चार इमली भोपाल
----	--	--------------------	----------------------------------	-------------------------

मंत्रालय :

1.	डॉ. राजेश राजोरा अपर मुख्य सचिव, जेल E-Mail - psjail@mp.gov.in	2708060	2427742 7693911111	सी-22 शिवाजी नगर भोपाल
2.	श्री मनोज खत्री अपर सचिव E-Mail - manoj.khatri@mp.gov.in	-	9425859477	ए-19 ग्रीन सिटी शाहपुरा, भोपाल
3.	श्री अजय नथानियल, अवर सचिव E-Mail - ajay.nathaniel@mp.gov.in	2708000-3206	9407545257	एम.आर्जी.-बी-47, जे.के.पार्क, ग्रीनवेली स्कूल के पास, कोलार रोड, भोपाल
4.	श्री संतोष भार्गव अनुभाग अधिकारी जेल विभाग E-Mail - santosh.bhargava@mp.gov.in	2512494	9893352320	ई-2/259, अरेसा कोलानी भोपाल

क्रमांक	अधिकारी का नाम	दूरभाष / मोबाइल		
		कार्यालय	निवास	निवास स्थान
1	2	3	4	5
जेल मुख्यालय :				
1.	श्री अरविंद कुमार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं E-Mail - dgjails@mp.gov.in	2558198 2675415 (फैक्स)	— 9417900002	सी-1 भद्रभदा रोड भोपाल
2.	श्री गाजीराम मीना अति. महानिदेशक जेल E-Mail - adgjaileasthhgbhopal@gmail.com	2558850	2426123 7049100536	डी 3/6, चार इमली भोपाल
3.	श्री आशुतोष रॉय अति. महानिदेशक जेल E-Mail - adgjaileasthhgbhopal@gmail.com	2557160	— 8826479458	डी 36, उपांत कॉलोनी, चार इमली भोपाल
4.	डॉ. सुहेल अहमद जेल उप महानिरीक्षक E-Mail - dighqjails@mp.gov.in	2573510	2431893 9425609334	सी-1 (जेल), चार इमली भोपाल
5.	श्री संजय पाण्डे जेल उप महानिरीक्षक E-Mail - sanjay_2616@yahoo.com	2573518	2576252 9425170143	बंगला क्र. 2, जिला जेल परिसर, भोपाल
6.	श्री एम. आर. पटेल जेल उप महानिरीक्षक E-Mail - dighqbhopal777@gmail.com	2557162	2559945 9406605588	डी-2, चार इमली, भोपाल
7.	श्री यू. पी. सिंह वरिष्ठ विधि अधिकारी E-Mail - slojails@mp.gov.in	2573506	2422080 9425846394	ई 9/6, चार इमली, भोपाल
8.	श्री पवन कुमार चौहान संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा) E-Mail - jdfjhq@gmail.com	—	— 9424087849	405, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, भोपाल
9.	श्री टी. एल. जघेंला सहायक लेखा अधिकारी	—	9425676685	जी- 3/124, 1100 क्वार्टर्स भोपाल

क्रमांक	अधिकारी का नाम	कार्यालय	दूरभाष / मोबाईल	
			निवास	निवास स्थान
1	2	3	4	5
12.	श्री संजीव खरे प्रभारी, कार्यपालन यंत्री E-Mail - aejails@mp.gov.in	2671244	2575587 9893145755	एफ 90 / 59, तुलसीनगर, भोपाल
13.	श्री अब्दुल रहमान खॉन सांख्यिकीय एवं अनुसंधान अधिकारी E-Mail - srojhq@yahoo.com	2557166	9425628567	11, जिन्सी, जहाँगीराबाद, भोपाल
14.	श्रीमती फूलवती ठाकुर कार्यालय अधीक्षक	2552348	9479967104	ए-19, आसरा एवेन्यू कमला नगर, नरेश शंकरी भोपाल
15.	नियन्त्रण कक्ष, जेल मुख्यालय	2675415 (टेली फेक्स)	—	

प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थान :

क्र.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाइल	
			कार्यालय	अधीक्षक / प्राचार्य निवास
1.	जेल प्रशिक्षण केन्द्र सागर	07582	261245	261243
2.	जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान कृष्णा नगर, भोपाल	0755	2742182	2551032

प्रदेश की जेलों के दूरभाष :

केन्द्रीय जेल :

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाइल		
			कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
1.	श्री गोपाल प्रसाद ताम्रकार अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, जबलपुर	0761	2621752 (टेली फैक्स)	2620016	2678503 9425110201
2.	E-Mail - nscb.centraljailjabalpur@gmail.com				
2.	श्री अखिलेश तोमर अधीक्षक केन्द्रीय जेल, सतना	07672	251490	9425812876	7879442425
2.	E-Mail - satnacentraljail@gmail.com				
3.	श्री डी. एस. अलावा अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बड़वानी	07290	222085 (टेली फैक्स)	222085	9425033687
3.	E-Mail - centraljailbarwani@gmail.com				
4.	श्रीमती अलका सोनकर अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, उज्जैन	0734	--	2581020 (टेली फैक्स)	2580821 9425063083
4.	E-Mail - jscjujn@mp.gov.in				
5.	श्री दिनेश नरगावे अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल	0755	2742250 (टेली फैक्स)	2742263	9826393191
5.	E-Mail - newjailbhopal@gmail.com				
6.	श्री संतोष सोलंकी अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, सागर	07582	261245 (टेली फैक्स)	261245	261243 9425848853
6.	E-Mail - sagarcentjail@gmail.com				
7.	सुश्री शैफाली तिवारी अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर	07792	236330 (टेली फैक्स)	236330	9425610688 9407513097
7.	E-Mail - jscjnlp@mp.gov.in				
8.	श्री अनिल सिंह अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रीवा	07662	252563 (टेली फैक्स)	252563	255335 7389521551
8.	E-Mail - centraljailrewa@gmaill.com				
9.	श्री राकेश भांगरे अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इंदौर	0731	2530577 (टेली फैक्स)	2540020	9827014018 7987104552
9.	E-Mail - jscjind@mp.gov.in				
10.	श्री ऊषा राज अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद	07574	252428 (टेली फैक्स)	252428 257852 (खण्ड 'ब')	252545 7247402118
10.	E-Mail - hbdjail30@gmail.com				
11.	श्री मनोज कुमार साहू अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर	0751	2481921 (टेली फैक्स)	2481552	2481051 8319763462
11.	E-Mail - jscjgwl@mp.gov.in				

जिला जेल :

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी. कोड	कार्यालय	दूरभाष / मोबाइल जेल गेट	अधीक्षक निवास
1.	श्री भास्कर पाण्डेय अधीक्षक, जिला जेल, दतिया	07522	237779	237779	233012 7974689149
2.	श्री रमेश चन्द्र आर्य अधीक्षक, जिला जेल देवास	07272	9479969155	-	9300724275
3.	श्री बी.बी. प्रसाद उप अधीक्षक जिला जेल रतलाम	07412	236111 (टेली फैक्स)	236111	7974450491
4.	श्री एस. के. उपाध्याय अधीक्षक, जिला जेल, धार	07292	222203	222203 222204 (फैक्स)	232722 8349867296
5.	श्री जी.एल. नेटी अधीक्षक, जिला जेल बालाघाट	07632	241360 (टेलीफैक्स)	240359	9584487776
6.	श्रीमती अदिति चतुर्वेदी , अधीक्षक, जिला जेल सिवनी	07692	228114 (टेलीफैक्स)	228065	9407110893
7.	श्री प्रभात चतुर्वेदी अधीक्षक जिला जेल बैढ़न	07805	-	233191 (फैक्स)	8744973198
8.	श्री ब्रजकिशोर कुडापे अधीक्षक, जिला जेल, बैतूल	07141	234247	234247 (टेली फैक्स)	9425437637
9.	श्री गिरधारी लाल औसारी, अधीक्षक, जिला जेल खरगौन	07282	235287	235287	9907590446
10.	श्रीमती लीना कोष्ठा अधीक्षक, जिला जेल कटनी	07622	262215	262215 (टेलीफैक्स)	9425693615
11.	श्री जी. एल. नेटी अधीक्षक, जिला जेल शहडोल	07622	245207	245207 (टेलीफैक्स)	9584487776
12.	श्री सुजीत खरे, उप अधीक्षक, जिला जेल पन्ना	07732	252012	252012 (टेलीफैक्स)	9425455056
13.	श्री विकास कुमार अधीक्षक जिला जेल, दमोह	07812	222184	222184 (टेली फैक्स)	221648 9340635834

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाइल		अधीक्षक निवास
			कार्यालय	जेल गेट	
14.	श्री संजीव कुमार उप अधीक्षक, जिला जेल सीधी	07822	250322 (टेलीफैक्स)	250322 (टेलीफैक्स)	9977555702
15.	श्री योगेन्द्र पवार उप अधीक्षक, जिला जेल राजगढ़	07372	255030 (टेलीफैक्स)	255030 (टेलीफैक्स)	254787 9406832580
16.	श्री ललित दीक्षित उप अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा	0733	2224172 (टेली फैक्स)	2224172 (टेली फैक्स)	2229540 8770348313
17.	श्री अजमेर सिंह ठाकुर अधीक्षक, जिला जेल, इंदौर	0731	2701528 (टेली फैक्स)	2701528 (टेली फैक्स)	9425446625
18.	श्री यजुवेन्द्र वाघमारे, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा	07162	247325 (टेली फैक्स)	247325 (टेली फैक्स)	244384 9039440230
19.	श्री जवाहर सिंह अधीक्षक, जिला जेल रायसेन	07482		—	9425421620
20.	श्रीमति हिमानी मनवारे अधीक्षक, जिला जेल, टीकमगढ़	07683	242324 (टेली फैक्स)	242324 (टेली फैक्स)	7987392730
21.	श्री अजय कुमार उप अधीक्षक, जिला जेल सीहोर	07562	226480	226480	9981305130
22.	श्री जे. एस. बाथम, उप जेल अधीक्षक, जिला जेल अलीराजपुर	07394	233582 (टेली फैक्स)	233512 (टेली फैक्स)	9425744822
23.	श्री रामशिरोमणि पाण्डे उप अधीक्षक जेल जिला जेल, छतरपुर	07682	248210 (टेली फैक्स)	248210 (टेली फैक्स)	248422 9425034064
24.	श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा उप अधीक्षक जेल जिला जेल, झाबुआ	07392	243321 244224 (फैक्स)	243321 244224 (फैक्स)	9926992064
25.	श्री गोपाल सिंह गौतम उप अधीक्षक जेल जिला जेल शाजापुर	07364	227584 (टेलीफैक्स)	227476 (टेलीफैक्स)	227584 9425124859
26.	अश्विनी शुक्ला उप अधीक्षक जेल, जिला जेल मुरैना	07532	226258 400036 (फैक्स)	226258 400036 (फैक्स)	895955008

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाइल		अधीक्षक निवास
			कार्यालय	जेल गेट	
27.	श्री पी. के. सिह उप अधीक्षक जेल, जिला जेल मंदसौर	07422	243226	244226	8770608910
28.	श्री रामलाल सहलाम उप अधीक्षक जेल, जिला जेल गुना	07542	220756	252628 (टेलीफैक्स)	—
29.	श्री अतुल सिन्हा, उप अधीक्षक जेल, जिला जेल शिवपुरी	07492	234153	234153	9425456934
30.	श्री ओमप्रकाश पाण्डे उप अधीक्षक जेल जिला जेल भिण्ड	07534	230802	2530802 (टेलीफैक्स)	7974921020
31.	श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी उप अधीक्षक जेल, जिला जेल विदिशा	07592	232862	232862	9425453434
32.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल उप अधीक्षक जेल, जिला जेल मण्डला	07642	252172	252172	9425447816
33.	डॉ. ए.ल. के. त्रिपाठी उप अधीक्षक जेल, जिला जेल नीमच	07423	226668	226668 (टेलीफैक्स)	9425076994
34.	श्री एस. ए. सिद्दकी उप अधीक्षक जेल, जिला जेल अशोकनगर	07543	220756	280756 (टेलीफैक्स)	9425489548
35.	श्री व्ही. एस. मौर्य उप अधीक्षक जेल जिला जेल श्योपुर	07530	220573	220573	9425191824
36.	श्री एम.एस. रावत उप अधीक्षक जेल जिला जेल हरदा	—	9425660063	—	9827657988
37.	श्री एम.एस. मरावी उप अधीक्षक जेल जिला जेल उमरिया	07653	222321	222321	9926666233
38.	श्री राधवेश अग्निहोत्री उप अधीक्षक जेल जिला जेल अनूपपुर	07659	—	—	9425470741
			E-Mail - jilajailumaria@gmail.com	E-Mail - jilajanippur1505@gmail.com	

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी.		दूरभाष / मोबाइल	अधीक्षक निवास
		कोड	कार्यालय	जेल गेट	
39.	श्री लव सिंह काटिया उप अधीक्षक जेल जिला जेल डिण्डोरी	07644	280373	234747 (फैक्स)	9300978205
40.	श्री इन्दरसिंह नागर उप अधीक्षक जेल जिला जेल आगर	07362	258646	258646 (टेलीफैक्स)	8839026456
41.	अधीक्षक, जिला जेल भोपाल	0755	2551932	2551932	-

सब जेल :

क्र	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम /सब जेल का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाइल कार्यालय	निवास
1.	श्री गिरजाशंकर दुबे (देवास) सब जेल, कब्जौद	07273	287742	7987993315
2.	श्री देवेन्द्र सिंह चंद्रावत (उज्जैन) सब जेल, खाचरौद	07366	246500	7999561642
3.	श्री ज्योति तिवारी (मंदसौर) सब जेल, गटोठ	07425	238248	8889960742
4.	श्री मुनीन्द्र मिश्रा (रतलाम) सब जेल, जावरा	07414	229147	9406523260
5.	श्रीमती कुसुमलता डावर (अलीराजपुर) सब जेल, जोबट	07393	288229	9826207236
6.	श्री दिनेश कुमार दांगी (उज्जैन) सब जेल, तराना	07369	236070	9993933226
7.	श्री योगेश शर्मा (राजगढ़) सब जेल, नरसिंहगढ़	07375	225543	9713779405
8.	श्री कमलेश राय (सतना) सब जेल, नागौद	07673	7673232237	9617636238
9.	श्री प्रहलाद सिंह वरकडे (होशंगाबाद) सब जेल, पिपरिया	07576	224424	7000797549
10.	श्री महेश शर्मा (शिवपुरी) सब जेल, पिछोर	07496	245632	9827365337
11.	श्री श्याम सिंह कुशवाह (शहडोल) सब जेल, बुढ़ार	07652	260072	9039715009
12.	श्री निर्भय यादव (रायसेन) सब जेल, बेगमगंज	07487	272250	9907605297
13.	श्री रामनारायण नाग (बालाघाट) सब जेल, बैहर	07636	256482	9424632846
14.	श्री मांगीलाल पटेल (छतरपुर) सब जेल, बिजावर	07608	7608253243	7617274071
15.	श्री अभय वर्मा (बालाघाट) सब जेल, वारासिंवनी	07633	253384	9425388419

क्र. सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम / सब जेल का नाम	(खरगौन)	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाइल	
			कार्यालय	निवास
16. श्री ऐश्वर्य मिश्रा सब जेल, मंडलेश्वर	(उज्जैन)	07283	233444	7747830574 E-Mail - subjailmandleshwar@gmail.com
17. श्री राधेश्याम वर्मा सब जेल, महिदपुर	(उज्जैन)	07385	251095	9179266655 E-Mail - jssjmahidpur@mp.gov.in
18. श्री रामगोपाल पाल सब जेल, मेहगांव	(भिण्ड)	07527	-	8964038777 E-Mail - jssjmehgaon@mp.gov.in
19. श्री मितेन्द्र सोनकर सब जेल, मुलताई	(बैतूल)	07147	224541	7509455355 E-Mail - supdtosubjailmultai@gmail.com
20. श्री रामजी त्रिपाठी सब जेल, मैहर	(सतना)	07674	7674232130	9425869390 E-Mail - supdtsubjailmaihar@gmail.com
21. श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाह(मुरैना) सब जेल, सबलगढ़		07536	252379	9826247273 E-Mail - jssjsabalgarh@mp.gov.in
22. श्री प्रदीप डामोर सब जेल, सरदारपुर	(धार)	07296	235300	8770934438 E-Mail - subjailsardarpur@gmail.com
23. श्री दिलीप नायक सब जेल, सिहोरा	(जबलपुर)	07624	230597	9406653093 E-Mail - jssjsihora@mp.gov.in
24. श्री अजय कुमार सब जेल, सिवनीमालवा	(होशंगाबाद)	07570	220008	942473755 E-Mail - seonimalwasubjail@gmail.com
25. श्री अजय वर्मा सब जेल, सेंधवा	(बड़वानी)	07281	222093	9826517773 E-Mail - subjailsendhwa@gmail.com
26. श्री संतोष गौर सब जेल, नसरुल्लागंज	(सीहोर)	07563	276288	7869392942 E-Mail - jsnasrullahganj@mp.gov.in
27. श्री अमरनाथ कटियार सब जेल, लहार	(भिण्ड)	07529	252023	9993845261 E-Mail - laharjail@gmail.com
28. श्री अनिल कुमार पाठक (छतरपुर) सब जेल, लवकुशनगर		07687	251273	9893091291 E-Mail - supdtsubjail.lavkushnagar@gmail.com
29. श्री एडवर्ड स्वामी सब जेल, अमरवाड़ा	(छिंदवाड़ा)	07167	-	8319861742 E-Mail - jssjamarwara@mp.gov.in
30. श्री गणेश कुमार सिंह सब जेल, लखनादौन	(सिवनी)	07690	240750	8770385632 E-Mail - jssjlakhnadon@mp.gov.in
31. श्री हेमेन्द्र बागरी सब जेल, पाटन	(जबलपुर)	07621	294001	8959379061 E-Mail - subjailpatan2007@gmail.com

क्र. सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम / सब जेल का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाइल कार्यालय निवास
32. श्री उम्मेद सिंह माहुने (नीमच) सब जेल, जावद	07420	281976 9926243511
	E-Mail - jssjjawad@mp.gov.in	
33. श्री भीमसिंह रावत (रतलाम) सब जेल, सैलाना	07413	278583 9407528641
	E-Mail - jssjsailana@mp.gov.in	
34. श्री ब्रजेश मकवाने (इंदौर) सब जेल, महू	07324	9009612533 9575447347
	E-Mail - subjailmhow123@gmail.com	
35. श्री जसमनसिंह डावर (खरगौन) सब जेल, कसरावद	07285	231361 9770325891
	E-Mail - subjailekasrawad10@gmail.com	
36. श्री ए. एस. नरवरिया (इंदौर) सब जेल, देपालपुर	07322	222555 9575447343
	E-Mail - subjaildepalpur@gmail.com	
37. श्री रोहीदास पिकले (देवास) सब जेल, बागली	07271	290985 6261232391
	E-Mail - jssjbagli@mp.gov.in	
38. सुश्री हेमसरिता मिंज (भिंड) सब जेल, गोहद	07539	222413 9754741711
	E-Mail - subjail.gohad@gmail.com	
39. श्री सुनीत शर्मा (मुरैना) सब जेल, अम्बाह	07538	275235 9425148672
	E-Mail - subjailambah1993@gmail.com	
40. श्री आशीष कुमार खरे (टीकमगढ़) सब जेल, जतारा	07681	254033 9806942244
	E-Mail - jssjjatara@mp.gov.in	
41. श्री फईम खान (शिवपुरी) सब जेल, कोलारस	07494	253309 9926279555
	E-Mail - subjailekolaras@gmail.com	
42. श्री बाबूलाल माहौर (मुरैना) सब जेल, जौरा	07532	245055 7869831386
	E-Mail - jssjjoura@mp.gov.in	
43. श्री संजय शर्मा (राजगढ़) सब जेल, सारंगपुर	07371	291080 9826651134
	E-Mail - jssjsarangpur@mp.gov.in	
44. श्री ज्ञानांशु भारती (छतरपुर) सब जेल, नौगांव	07685	256667 9425656222
	E-Mail - nowgongjail@gmail.com	
45. श्री निर्भय सिंह राठौर (इंदौर) सब जेल, सांवेद	07321	220001 7089112538
	E-Mail - subjailesanwer@gmail.com	
46. श्री नरेन्द्र कटारे (ग्वालियर) सब जेल, डबरा	07524	225160 9826784715
	E-Mail - jssjdabra@mp.gov.in	
47. श्री विकास कुमार जैन (टीकमगढ़) सब जेल, निवाड़ी	07680	232504 8839477828
	E-Mail - niwarijail@gmail.com	

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम / सब जेल का नाम		एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाईल कार्यालय निवास
48.	श्री एस. बी. सिंह सब जेल, ब्यौहारी	(शहडोल)	07650	262430 9425840419
49.	श्री सुनील शर्मा सब जेल, करेता	(शिवपुरी)	07493	253309 9575177591
50.	श्री नवीन कुमार नेमा सब जेल, गंजबालौदा	(विदिशा)	07594	6263880265 9425879529
51.	श्री आशीष मंजना सब जेल, गौहरगंज	(रायसेन)	07480	274393 7974870178
52.	श्री अशोक भार्गव सब जेल, बरेली	(रायसेन)	07486	231260 7000774329
53.	श्री शिवपाल पारोदिया सब जेल, शुजालपुर	(शाजापुर)	07360	9770785161 9770785161
54.	श्री रमेश कुमार मरावी सब जेल, लटेरी	(विदिशा)	07590	276200 9977945822
55.	श्री मयंक यादव सब जेल, हटा	(दमोह)	07604	264030 8839509490
56.	श्री हेमंत नागर सब जेल, सेवढ़ा	(दतिया)	07521	280438 7974766714
57.	श्रीमती श्वेता मीणा सब जेल, खुरई	(सागर)	07581	290133 9907605297
58.	श्री दीपक ठाकुर सब जेल, सुलन्देर	(शाजापुर)	07361	233859 8989257038
59.	श्री मुकेश मांझी सब जेल, पोहरी	(शिवपुरी)	07490	— 8959928778
60.	श्रीमती महालक्ष्मी सिंह सब जेल, धरमपुरी	(धार)	07291	280188 9425425799
61.	श्री श्यामलाल वर्मा सब जेल, बड़वाह	(खरगौन)	07280	8120448383 7354342211
62.	श्री अनुभा चौधरी सब जेल, रहली	(सागर)	07585	290000 9302323430
63.	श्री मनीष पवार सब जेल, चाचौड़ा	(गुना)	07546	240980 7974835549
				E-Mail - Subjailchachoda50@gmail.com

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम / सब जेल का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाईल कार्यालय निवास
64.	श्री गणेश सिंह (रीवा) सब जेल, मऊगंज	07663	203477 9893515559 E-Mail - jssjmauganj@mp.gov.in
65.	श्री राजेन्द्र कुमार यादव (सागर) सब जेल, बंडा	07583	280512 8225802545 E-Mail - bandasubjail@gmail.com
66.	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह (पन्ना) सब जेल, पवई	07733	282224 9425382072 E-Mail - pawaisubjail@gmail.com
67.	श्री संजय परमार (धार) सब जेल, मनावर	07294	232440 9424805911 E-Mail - subjailmanawar2015@gmail.com
68.	श्री कमल पलासिया (धार) सब जेल, बदनावर	07295	290062 8959344385 E-Mail - jssjbadnawar@mp.gov.in
69.	श्री ऐश्वर्य मिश्रा (खरगोन) सब जेल, महेश्वर	07283	233444 7747830574 E-Mail - subjailmaheshwar@gmail.com
70.	श्री सुरेन्द्र सिंह राणावत (देवास) सब जेल, सोनकच्छ	07270	290450 7987426381 E-Mail - jssjsonkatch@mp.gov.in
71.	श्री कल्याण सिंह खांडे (श्योपुर) सब जेल, विजयपुर	07528	266518 9584727708 E-Mail - subjailvijpur@gmail.com
72.	श्री शशांक सिंह (रीवा) सब जेल, त्योथर	07661	486220 8224800885
73.	श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी (उज्जैन) सब जेल, बड़नगर	07367	- 9009231587

मुद्रक : केन्द्रीय जेल प्रेस, भोपाल